एम.ए.सी.पी. संख्या १०८/२०१८

१. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व. श्री जय प्रकाश उम्र करीब ३५ वर्ष (पत्नी) पेशा गृहणी
२. संजय कुमार पुत्र स्व. श्री जय प्रकाश उम्र करीब २० वर्ष पेशा छात्र
३. दीपू पुत्र स्व. श्री जय प्रकाश उम्र करीब १७ वर्ष पेशा छात्र संरक्षिका व सरवराकार माँ श्रीमती सावित्री समस्त निवासियान मु. वेद नगर मातनपुरा मोंठ तहसील मोंठ जिला झाँसी

-------याचीगण

प्रति

१. अर्पित लोहिया पुत्र श्री दिलीप लोहिया नि. मु. कटरा बाजार, मोंठ तह. मोंठ जनपद झाँसी
..... मालिक आपे तिपहिया नं. यू.पी. ९३ बी टी ३९४९
२. दिलीप लोहिया पुत्र श्री मूलचन्द्र लोहिया नि. मु. कटरा बाजार, मोंठ तह. मोंठ जनपद झाँसी
..... मालिक टाटा २०७ नं. यू.पी. ९३ टी ९३७३
३. श्रीराम जनरल इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड इण्डस्ट्रियल एरिया सीतापुर जयपुर, राजस्थान ३०२०२२ इण्डिया
..... बीमा कम्पनी आपे तिपहिया नं. यू.पी. ९३ बी टी ३९४९
४. राज कुमार प्रजापति पुत्र श्री कालीचरन प्रजापति नि. ग्राम धुविया थाना जिगना जिला दतिया, म.प्र.
..... चालक आपे तिपहिया नं. यू.पी. ९३ बी टी ३९४९

--------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री डी.के. शर्मा
विपक्षी सं. १ के अधिवक्ता- श्री अरूण कुमार गुप्ता
विपक्षी सं. २ के अधिवक्ता- श्री साकेत गुप्त
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- दीपक श्रीवास्तव

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचीगण व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ श्रीराम जनरल इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण में उपस्थित आये।

याचीगण के पति व पिता की मोटर दुर्घटना मे मृत्यु पर यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा ५२बी पर याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ५२बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया गया। ५२बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग ₹ ७,००,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ५२बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा ५२बी में दर्शित कुल ₹ ७,००,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा ५२बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा ५२बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ५२बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ श्रीराम जनरल इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ७,००,००० (सात लाख) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. ९२३५२०१०००८५६० आई.एफ.एस.सी. सं. SYNB 0009235 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से अंतरित कर दें। धनराशि अंतरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। याची सं. १ श्रीमती सावित्री व याची सं. २ संजय कुमार व याची सं. ३ दीपू क्रमशः मृतक की पत्नी व पुत्रगण हैं। याची सं. ३ दीपू वर्तमान में वयस्क हो चुका है। अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची सं. १ श्रीमती सावित्री ४० प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगी तथा याचीगण सं. २ व ३, प्रत्येक उक्त प्रतिकर की धनराशि में से ३०-३० प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। याचीगण उक्त प्रतिकर की धनराशि का २५-२५ प्रतिशत भाग जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने-अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेंगे तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत धनराशि की एन्युटी बनायी जायेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 13:50:29 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor accident Claim Tribunal
Jhansi